नि 07/02/22

आदेश संख्याः 12 /2022 (प्रशासकीय)

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पत्र सं.-2419/LXXXVII-CPC/e-Courts/Allahabad/ Dated; 02 Jan.2022, पत्र सं.-2423/LXXXVII-CPC/e-Courts/Allahabad/ Dated; January 09.2022, पत्र सं.-2427/LXXXVII-CPC/e-Courts/Allahabad/ Dated; 16 January.2022 व पत्र सं० 2434/LXXXVII-CPC/e-Courts/Allahabad/ Dated; 06 February. 2022 के द्वारा कोविड-19 के प्रभाव व प्रसार के दृष्टिगत न्यायालय द्वारा किए जाने वाले कार्यों के सम्बन्ध में निर्गत दिशा निर्देश के अनुपालन हेतु पूर्व में पारित प्रशासनिक आदेशों को तत्क्रम में निर्गत दिशा निर्देश के अनुरूप आंशिक रूप से उपांतरित व संशोधित करते हुए आदेशित किया जाता है किः-

1. परिवार न्यायालय द्वारा अंगीकरण से संबंधित नये/लम्बित प्रकरणों की सुनवाई की जाएगी।
2. जिन मामलों में साक्ष्य अंकित किया जा चुका है उसमे वर्चुअल मोड से या लिखित बहस प्राप्त कर अग्रिम कार्यवाही की जाएगी।
3. त्वरित प्रकृति के व्यादेश सम्बन्धी मामलों की सुनवाई की जायेगी।
4. लम्बित मामलों में जिसमें पूर्व में ही बहस सुना जा चुका है उसमें निर्णय/आदेश पारित किया जाएगा।
5. कार्यालय का कोई लम्बित कार्य निष्पादित किया जाएगा।
6. अन्य त्वरित न्यायिक कार्य और प्रशासनिक कार्य निष्पादित किया जाएगा।

दाण्डिक मामलों में सम्बन्धित पक्षकारों की अनुपस्थिति में उनके विरूद्ध कोई प्रतिकूल या प्रपीड़ात्मक आदेश नहीं पारित किया जाएगा।

गर्भवती महिला न्यायिक अधिकारी या महिला कर्मचारी को न्यायालय उपस्थित आने से अवमुक्ति प्राप्त होगी यदि आवश्यक हो तो उनके घर से ही सम्बन्धित कार्य निष्पादित करने की अनुमति दी जाएगी।

वादकारी या उनके प्रतिनिधि का न्यायालय में प्रवेश निषिध रहेगा। किसी त्वरित या आवश्यक प्रकृति के मामलों में सम्बन्घित पीठासीन अधिकारी से विशेष अनुमति प्राप्त कर प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।

न्यायिक अधिकारीगण व कर्मचारीगण संबंधित उपरोक्त कार्य निष्पादित होने के तत्काल पश्चात न्यायालय परिसर छोड देंगें।

उपरोक्त आदेश दिनॉक 08.02.2022 से प्रभावी रहेगा।

तदनुसार पारिवारिक न्यायालय के समस्त अधिकारीगण व कर्मचारीगण उपरोक्तानुसार व अन्य प्रकार से माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त पत्र द्वारा निर्गत दिर्शा निर्देशों के अनुपालन में न्यायिक कार्य, प्रशासनिक कार्य व कार्यालयीय कार्य निष्पादित करना सुनिश्चत करें।

सर्व संबंधित सूचित हो।

07.02.2022

(दुर्ग नरायन सिंह)
प्रधान न्यायाधीश,
पारिवारिक न्यायालय
बाराबंकी

प्रधान न्यायाधीश
परिवारिक न्यायलय-बाराबंकी

इस आदेश की एक प्रति डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की वेबसाइट पर जन साधारण को सूचनार्थ अपलोड किया जाए तथा एक प्रति जिला बार एसोसिएशन बाराबंकी को सूचनार्थ प्रेषित किया जाए।

न्यायालय की आज्ञा से

S.O. to upload
07/02/22

07.02.2022

प्रशासनिक अधिकारी
पारिवारिक न्यायालय
बाराबंकी।